MEDIA BEAT

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani

मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेखकः अशोक मनसुखानी

OTT SELF REGULATION / CENSORSHIP?

At present, India has approximately 40 OTT platforms including Netflix, Amazon Prime, Hotstar-Disney, Sony Liv, Zee 5, Discovery Plus and a plethora of regional OTT players. A recent media estimate claims that Indian digital platforms already reach over 40 million customers in the market with revenues crossing ₹ 3000 crores.

OTT platforms have had explosive growth in the past 12 months due to the Covid 19 Lockdown, leading to a lack of fresh television content and concentrated viewing by millions of Indians forced to stay home. Netflix is estimated to have added another 33% viewers in India in the last one year. Amazon Prime and Hotstar Disney have also added substantial viewers. Regional OTT platforms are very popular for edgy and fresh content. Live sports content on Hotstar Disney and Sony Liv will give them assured increase in customers in years to come annually.

For the past year, the OTT Networks have been working on a self-regulatory code to avoid government regulation. Late last year, in a widely expected move, the Government brought the Regulation of OTT content under the Ministry of Information and Broadcasting by amending the Allocation of Business Rules in November 2020.

In early January 2021, a controversy got created on a couple of tendentious scenes in the web series 'Tandav' shown on Amazon Prime. The series is a political thriller, but in the current inflamed social media atmosphere, the

ओटीटी स्व नियामक/सेंसरशीप?

वर्तमान में भारत में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार-डिज्नी, सोनी लिव, जी 5, डिस्कवरी प्लस और काफी संख्या में क्षेत्रीय कंपनियों सहित लगभग 40 ओटीटी प्लेटफार्म है। हालही के एक मीडिया अनुमान में दावा किया गया है कि भारतीय डिजिटल प्लेटफार्म पहले ही बाजार में 40 मिलियन से अधिक ग्राहकों तक पहुंच चुके हैं जिनसे प्राप्त राजस्व 3000 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

पिछले 12 महीनों में कोविड 19 लाकडाउन के कारण ओटीटी प्लेटफार्मों में विस्फोटक वृद्धि हुई है जिसके कारण टेलीविजन की ताजा सामग्री की कमी और लाखों भारतीय के घर पर रहने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा है। नेटफ्लिक्स का अनुमान है कि पिछले एक साल में भारत में 33% अन्य ग्राहकों को जोड़ा गया है। अमेजन प्राइम और हॉटस्टार डिज्नी ने भी पर्याप्त दर्शक जोड़े हैं। क्षेत्रिय प्लेटफार्म उत्कृष्ट और ताजे सामग्री के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। हॉटस्टार डिज्नी और सोनी लिव पर लाइव खेल कार्यक्रम उन्हें सालाना आने वाले वर्षों में ग्राहकों में वृद्धि का अश्वासन देते हैं।

पिछले एक साल से ओटीटी नेटवर्क सरकारी विनियम से बचने के लिए स्व नियमन कोड पर काम कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में एक व्यापक रूप से अपेक्षित कदम में सरकार ने नवंबर 2020 में व्यापार नियमों के आवंटन में संशोधन करके सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत ओटीटी सामग्री पर विनियम लाया है। जनवरी 2021 की शुरूआत में अमेजन प्राइम पर दिखाये गये वेब सीरिज 'तांडव' के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद पैदा हो गया। यह श्रृंखला एक राजनीतिक थ्रिलर है लेकिन वर्तमान में चल रहे सोशल मीडिया के माहौल में विवाद ने ओटीटी सामग्री

controversy helped fuel shrill demands for pre-censorship of OTT content. Though the Producers apologised and deleted some scenes, it became the perfect vehicle for strident demands to regulating OTT content before the webcast.

Activists in different states filed multiple FIRs, and the Director and Producer of 'Tandav' approached the Supreme Court for an anticipatory bail in late January 2021 which was refused by the Supreme Court stating, 'your right to freedom of speech is not absolute." The Supreme Court advised the Petitioners to approach individual courts for any possible relief. Subsequently, the Allahabad High Court granted interim protection from any coercive action or arrest in early February 2021 to the content head of Amazon Prime till the next hearing in late February. The UP government has been vehemently opposed the anticipatory bail application stating that "the visual in wording is used for certain actors the said web series contain certain scenes portraying God in a very derogatory manner for which the said FIR has been lodged. The Government stated that watching the web series public opinion was so provocative this persuaded the state for lodging the fire considering the nature of the allegations and severity thereof, the applicant is not entitled to grant of anticipatory bail.

Meanwhile, the Central Government moved the Supreme Court to centralise all the petitions filed in various courts to regulate OTT content. Supreme Court will hear the Government's plea on March 23, 2021, in a notice issued on February 11, 2021.

A senior counsel, Mrs Pinky Anand recently opined in an interview to the media that there is no reason why Television content and films available on OTT platforms be treated any differently from motion pictures covered by the Cinematograph Act 1952. She felt that only the medium of the exhibition is different. She further expressed her personal view that the absence of censorship has been "grossly misused in the name of creative expression on digital platforms". She argued that OTT platforms are profit-driven and charge subscription fees and therefore must be regulated.

की पूर्व सेंसरशीप के लिए मांग ने जोर पकड़ा। हालांकि निर्माताओं के माफी मांगने और विवादित दृश्यों को हटा दिया गया, लेकिन यह वेबकास्ट से पहले ओटीटी सामग्री को विनियमित करने की सख्त मांगों के लिए सही मुद्दा बन गया।

विभिन्न राज्यों के कार्यकताओं ने कई प्राथमिकी दर्ज की, और तांडव के निर्माता व निर्देशक ने जनवरी **2021** के अंत में अग्रिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपका पूर्ण अधिकार नहीं है। सुप्रिम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी संभावित राहत के लिए व्यक्तिगत अदालतों का रूख करने की सलाह दी। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फरवरी **2021** की शुरूआत में अमेजन प्राइम के कंटेंट हेड को फरवरी के अंत तक किसी भी आक्रामक कार्रवाई या गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 'शब्दांकन में दृश्य का उपयोग कुछ अभिनेताओं के लिए किया जाता है जिसमें उक्त वेब श्रृंखला के कुछ दृश्यों में भगवान को बहुत आपत्तिजनक तरीके से चिति किया गया है, जिसके लिए उक्त प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। सरकार ने कहा कि वेब श्रृंखला जनता की राय को उकसाने वाला था, इसने आरोपों की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज करने के लिए राज्य को राजी कर लिया, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत देने का हकदार नहीं है।

इस बीच केंद्र सरकार ने ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए विभिन्न अदालतों में दायर सभी याचिकाओं को केंद्रीयकृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। **11** फरवरी **2021** को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक वह **23** मार्च **2021** को सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा।

एक वरिष्ठ वकील श्रीमती पिंकी आनंद ने हालही में मीडिया को दिये गये साक्षात्कार में कहा कि कोई कारण नहीं है कि ओटीटी प्लेटफार्मो पर उपलब्ध टेलीविजन सामग्री और फिल्मों को सिनेमेटोग्राफी अधिनियम **1952** द्वारा कवर की गयी किसी भी अलग तरह की मोशन पिक्चर की तरह संबोधित किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि केवल प्रदर्शनी का माध्यम अलग है। उन्होंने कहा कि सेंसरशिप की अनुपस्थिति में 'डिजिटल प्लेटफार्म पर रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर घोर दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लाभ चालित है और सदस्यता शुल्क वसूलते हैं और इसलिए इसे विनियमित किया जाना चाहिए।

In her view, an autonomous regulatory body like the Press Council of India would be the "most acceptable model" which could frame guidelines, receive complaints against content and yet allow enough play in the joints of artistic expression. She accepted that artistic expression is a Fundamental Right, but public order, decency is the touchstone of judging whether a work of art cannot be publicly aired on display. But she warned that the restriction must be considered from a reasonable man's standard and not a hypersensitive person standard.

The Parliamentary Consultative Committee for Information and Broadcasting has recently opined to the Government that "reasonable curbs" on OTT content be considered.

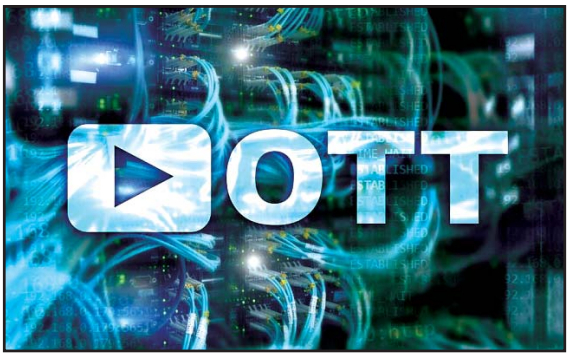

In reply to Parliament questions in early February 2021, the Minister for Information and Broadcasting made it clear that the Government will shortly bring OTT Regulation guidelines addressing sensitive content issues. In these Regulations, an element of self-regulation can be allowed, but perhaps interministerial oversight approach like the one for private TV channels is likely to be adopted.

Meanwhile, the OTT Networks have announced, on February 10, 2021, that they will "go ahead" with their version of self-regulation code based on a specific toolkit and guidelines they had submitted to the Government. This attempts to pre-empt the forthcoming OTT Regulations. Seventeen major OTT players have decided to adopt the industry toolkit for Regulation. They are setting up the IAMAI Secretariat which will implement the code and the toolkit. The toolkit is intended to set out the guiding principles and code of ethics and address the Ministry of Information and Broadcasting feedback. We will have to await further developments on this vexing issue in early March.

उनके विचार में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह एक स्वायत्त नियामक संस्था 'सबसे स्वीकार्य मॉडल' होगा जो कि दिशा निर्देश बना सकता है, कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत प्राप्त कर सकती है और फिर भी कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर पर्याप्त स्वतंत्रता दे सकती है। उन्होंने स्वीकार किया कि कलात्मक अभिव्यक्ति एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता यह आंकने का आधार है कि क्या कला के किसी कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंध को एक उचित व्यक्ति के मानक से माना जाना चाहिए न कि एक व्यक्ति के मानक से। सूचना व प्रसारण के लिए संसदीय सलाहकार समिति ने हाल ही में सरकार को बताया कि ओटीटी सामग्री 'उचित प्रतिबंध' पर विचार किया जाना चाहिए। फरवरी **2021** की शुरूआत में संसद में सवाल का जवाब देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार जल्दी ही संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने वाले ओटीटी विनियम दिशा–निर्देश को लायेगी। इन विनियमों में स्व–नियमन एक तत्व को अनुमति दी जा सकती है लेकिन शायद निजी टीवी चैनलों के लिए एक जैसे इंटरमिनिस्ट्रयल ओवरसाइट दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।

इस बीच ओटीटी नेटवर्क ने **10** फरवरी **2021** को घोषणा की कि वे एक विशिष्ट टूलकिट और दिशा निर्देशों के आधार पर स्व–विनियम कोड के अपने संस्करण के साथ आगे बढ़ेंगे, जो उन्होंने सरकार को सौंपे थे। यह आगामी ओटीटी विनियमों का प्रसार करने का प्रयास करता है। सत्रह विभिन्न ओटीटी कंपनियों ने विनियम के लिए उद्योग के टूलकिट को अपनाने का फैसला किया है। वे आईएएमएआई सचिवालय की स्थापना कर रहे हैं जो कि कोड व टूलकिट को लागू करेगा। टूलकिट का इरादा मार्गदर्शक सिद्धांतों और आचार संहिता को निर्धारित करना है और सूचना व प्रसारण मंत्रालय की प्रतिक्रिया को संबोधित करना है। हमें मार्च की शुरूआत में इस मुद्दे पर आगे की घटनाक्रम का इंतजार करना होगा।

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY
SATELLITE & Cable Tv
You Know What You Are Doing...
But Nobody Else Does
ADVERTISE NOW !
Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com

DRAFT NATIONAL BROADCAST POLICY/CABLE INDUSTRY IGNORED?

For the past few years, there has been talk in media circles about framing a new National Broadcast Policy. Unfortunately, public opinion is not generally sought with the dialogue being generally restricted to broadcasting committees of large bodies like FICCI and CI1. This leaves the vast cable operator community entirely in the dark on what could be policy framework for them in the coming decade.

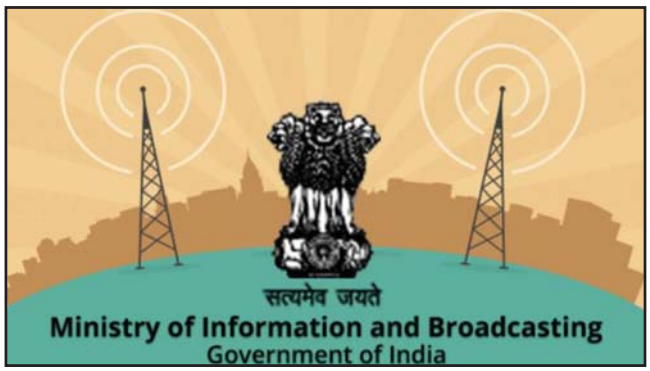

In the CII Big Picture Summit in November 2020, the Additional Secretary Mrs Neerja Shekhar, Ministry of Information and Broadcasting revealed that 'consultations were held with stakeholders sometime back and the Ministry is putting the various parts together, and the emerging issues as well. It is getting close to coming up with the draft version of the National Broadcasting Policy.'

NEERJA SHEKHAR

The Additional Secretary acknowledged that all forms of media – TV, Print and Radio and Digital are growing simultaneously and not at the cost of one another. She admitted that the regulatory framework has to be supported so that the Industry can grow. It has to be an enabling environment in which growth can be facilitated; the media and entertainment sector is not about entertainment alone but brings revenue to the Government. It gives jobs, employment opportunities and boosts exports by exporting content abroad.

She stated that India has sector-specific laws and interministerial network of laws. She admitted that the Cable Act lays down a list of things to do or not to do under the Program Code. She felt that the self-regulation code of broadcasters has been working well.

She made a welcome announcement that it was intended to "decriminalise" various acts like the Cable Television Act. She said the intention is not to "put people

राष्ट्रीय प्रसारण नीति का मसौदा/केबल उद्योग की अनदेखी?

पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करने के बारे में मीडिया हलकों में बात हुई है। दुर्भाग्य से आमतौर पर फिक्की और सीआईआई जैसी बड़ी निकायों की प्रसारण समितियों तक सीमित होने वाले संवाद के साथ जनता की राय नहीं मांगी जाती है। यह विशाल केबल ऑपरेटर समुदाय को पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ देता है जो कि आने वाले दशक में उनके लिए नीतिगत ढांचा हो सकता है।

नवंबर **2020** में सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन में सूचना व प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव श्रीमती नीरजा शेखर ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया गया था और मंत्रालय विभिन्न हिस्सों और उभरते हुए मुद्दों को एक साथ रख रहा है। यह राष्ट्रीय प्रसारण नीति के ड्राफ्ट संस्करण के साथ आने के करीब है।

अपर सचिव ने स्वीकार किया कि मीडिया के सभी प्रकार–टीवी, प्रिंट, रेडियो व डिजिटल एक साथ बढ़ रहे हैं और ये सभी एक दूसरे की कीमत पर। उन्होंने स्वीकार किया कि नियामक ढ़ांचे का समर्थन किया जाना चाहिए ताकि उद्योग बढ़ सके। इसके लिए एक सक्षम वातावरण होना चाहिए जिसमें विकास को सुगम बनाया जा सके, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र केवल मनोरंजन के बारे में नहीं है बल्कि सरकार के लिए राजस्व लाता है। यह रोजगार, रोजगार के अवसर देता है और विदेशों में सामग्री को निर्यात करके निर्यात को बढ़ाता है।

उन्होंने कहा कि भारत के पास क्षेत्र विशिष्ट कानून व कानूनों का अंतरमंत्रालय नेटवर्क है। उन्होंने स्वीकार किया कि केबल एक्ट प्रोग्राम कोड के तहत करने या न करने के लिए चीजों की सूची देता है। उन्होंने महसूस किया कि प्रसारकों का स्व नियामक कोड अच्छा काम कर रहा है।

उन्होंने एक स्वागतयोग्य घोषणा की कि यह केबल टेलीविजन अधिनियम की तरह विभिन्न कृत्यों को 'डिक्रिमनलाइज' करने का इरादा था। उन्होंने कहा कि 'इरादा लोगों को सलाखों के पीछे' डालने का नहीं है बल्कि उद्योग को ऐसे तरीके से विनियमित करना है जो उपभोक्ताओं की अपेक्षा है।

behind bars" but regulate the Industry in a manner which consumers expect.

She stated that the Government would regulate the sector so that everyone enjoys the benefits of technology. She mentioned there would have to be a convergence in Government to facilitate ease of doing business and ease of living as far as the sector is concerned.

She also appealed to the Broadcasting Industry to support it to get infrastructure status for the Industry. However, the Ministry of Finance has again rejected this long pending demand in February 2021.

In early January 2021, a leading business paper published a detailed article on the draft National Broadcast Policy outlines. The 'draft' seeks to harmonise the regulatory powers of the Telecom Regulatory Authority of India with existing intellectual property laws, including the Copyright act. This harmonisation will delight the Broadcasting community.

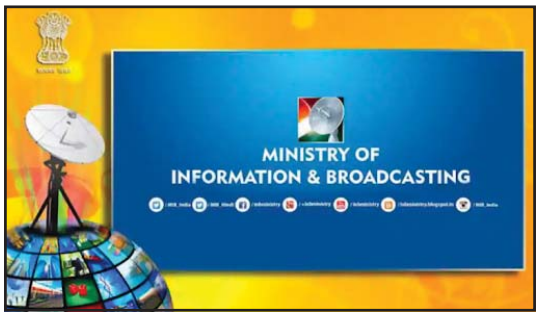

All distribution platforms, including DTH cable and HITS, would come under the new Regulation. It is expected that the current Cable Television Network Regulation Act 1995 will be replaced. The new Cable Act would give statutory recognition to the program code's self-regulation guidelines framed by the Broadcast Content Complaint Council and the News Broadcaster Standards Authority. These new Regulations are entirely in line with what the Broadcasters have been demanding for a long time.

The Government may also review another demand of the Broadcasters to remove cross-media restriction. Even Audience Ratings may be brought within the ambit of the new Act. The draft document is thirty-one pages long and framed on nineteen policies, but no consultation with the Multi-System Operators or the Cable Operators has been done. This is very disturbing for the Cable Industry, which needs to rise to awaken and be heard before the Policy is notified in coming weeks.

Meanwhile, once more, the Broadcasters have once more got away without a Broadcast Regulation Act. This is in complete contravention of the Supreme Court directions of in the Cricket Association of Bengal case dated 09.02.1995 to "set up an independent, autonomous public authority representative of all sections and interests in the society to control and regulate the use of the airwaves." ■

उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को विनियमित करेगी ताकि सभी को तकनीकी का लाभ मिले। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार को व्यवसाय करने में आसानी और जीवनयापन में आसनी की सुविधा प्रदान करनी होगी।

उन्होंने प्रसारण उद्योग से अपील की कि वह उद्योग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हासिल करने के लिए उसका समर्थन करे। हालांकि वित्त मंत्रालय ने फरवरी **2021** में लंबे समय से लंबित इस मांग को खारिज कर दिया।

जनवरी **2021** की शुरूआत में एक प्रमुख बिजनेस पेपर ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति की रूपरेखा के मसौदे पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया था। ड्रॉफ्ट कॉपीराइट अधिनियम सहित मौजूदा बौद्धिक संपदा कानूनों के साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की नियामक शक्तियों का सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। यह सामंजस्य प्रसारण समुदाय को प्रसन्न करेगा।

डीटीएच केबल व हिट्स सहित सभी वितरण प्लेटफार्म नये विनियमन के तहत आयेंगे। यह उम्मीद की जाती है कि वर्तमान केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम **1995** को प्रतिस्थापित किया जायेगा। नया केबल अधिनियम प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद् और समाचार ब्रॉडकास्ट मानक प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम कोड के स्व विनियमन दिशा निर्देशों को वैधानिक मान्यता देगा। ये नये नियम पूरी तरह से उस चीज के अनुरूप है जिसकी मांग प्रसारक लंबे समय से कर रहे हैं।

सरकार क्रॉस मीडिया प्रतिबंध को हटाने के लिए प्रसारकों की एक और मांग की भी समीक्षा कर सकती है। यहां तक कि ऑडियंस रेटिंग को नये अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। ड्राफ्ट दस्तावेज **31** पेज लंबा है और **19** नीतियों पर बनाया गया है, लेकिन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है। यह केबल उद्योग के लिए बहुत परेशान करने वाला है जिन्हें आने वाले हफ्तों नीति को अधिसूचित करने से पहले जागने और सुनने की जरूरत है।

इस बीच प्रसारक एक बार फिर से ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन एक्ट के बिना दूर हो गये हैं। यह क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल केस में **09.02.1995** को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन है जिसमें एयरवेव के उपयोग को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए समाज में सभी वर्गों और हितों के एक स्वतंत्र स्वायत्त सार्वजनिक प्राधिकरण प्रतिनिधि की स्थापना की गयी है।' ■